



इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2781/2026

धीरेन्द्र कुमार @ पंकज यादव

...आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृहविभाग, लखनऊ के माध्यम से

...विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : अतुल वर्मा, अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, विनोद कुमार यादव

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता लालजी यादव

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 624/2024, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी.एन.एस., थाना मड़ियांव, जिला लखनऊ के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बिक्री विलेख में सीमांत/साक्षी है तथा संपत्ति के क्रेता ज्ञान सिंह @ ज्ञानी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही दिनांक 29.01.2025 के आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 894/2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

अंततः यह प्रस्तुत किया गया है कि निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिनांक 24.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा मुकदमे में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि आवेदक विक्रय विलेख में सीमांत साक्षी है और क्रेता को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा एफ.आई.आर., दिनांक 29.01.2025 के जमानत आदेश एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत संपत्ति के क्रेता को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा आवेदक विक्रय विलेख का सीमांत साक्षी है। ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक धीरेन्द्र कुमार @ पंकज यादव को एफ.आई.आर. संख्या 624/2024 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:—

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके लिए उसे जमानत दी गई है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों और साक्ष्य के लिए तारीख नियत हो, तब वह उस तारीख पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में विचारण न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 209, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (a) मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय, (b) आरोप तय किए जाने के समय, तथा (c) धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किए जाने के समय निश्चित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है या उसके पास अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए, उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने तथा जमानत को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

दिनांक: 10 जून, 2026

वीकेएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।